संख्या– /XVII- 3/2017–04(06)/2016

प्रेषक,

कै0 आलोक शेखर तिवारी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग **देहरादूनः दिनांकः 25 सितम्बर, 2017**

विषय–वित्तीय वर्ष 2017–18 में ''सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड को अनुदान'' तथा ''उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड को सहायता'' के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–322/नि.अ.क./924–बजट मांग/2017–18, दिनांक 21.06.2017, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:–610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30.06.2017 तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून के पत्र सं0–287/प.सं. 914–वक्फ सम्पत्तियों के सर्वेक्षण/उ.व.बोर्ड/2017–18, दिनांक 11.09.2017 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में 'सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड को अनुदान' तथा 'उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड को अनुदान' योजनाओं के अन्तर्गत ''राजस्व'' पक्ष में प्राविधानित धनराशि क्रमशः ₹ 3.00 लाख तथा ₹ 7.50 लाख अर्थात कुल ₹ 10.50 लाख (₹ दस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. ''सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड को अनुदान'' योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि ₹ 3.00 लाख को उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में कार्यरत कार्मिकों के वेतन आदि हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को तथा तथा उत्तराखण्ड वक्फ सम्पत्तियों के स्थलीय निरीक्षण हेतु नामित वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त/सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–37/PPS/प्र.स.रा./2017, दिनांक 28.04.2017 द्वारा की गयी मांग धनराशि ₹ 12,87,552/– के सापेक्ष ''उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड को अनुदान'' योजनान्तर्गत धनराशि ₹ 7.50 लाख को नियमानुसार वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त को यथाप्रक्रिया उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त मदों में शेष धनराशि की व्यवस्था हेतु यथासमय अनुपूरक मांग का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. धनराशि का व्यय करते समय उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 30.06.2017 एवं समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रदेश में स्थित वक्फ सम्पत्तियों के सर्वेक्षण एवं स्थलीय निरीक्षण का कार्य पूर्ण करते हुए रिपोर्ट शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी।
4. उक्त शासनादेश दिनांक 30.06.2017 के प्रस्तर–12 की व्यवस्थानुसार अवचनबद्ध मदों की आवश्यकताओं को बजट प्राविधान की सीमा तक ही सीमित रखते हुए धनराशि का व्यय किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित आवंटित सीमा तक उसी मद के लिए किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।

6. उपकरणों/निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु मानकों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं इस संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन कड़ाई से किया जाए।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मदों हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।
8. मितव्ययिता के फलस्वरूप अवशेष धराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार शासन/वित्त विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के अन्तर्गत 'राजस्व' पक्ष के लेखाशीर्षक "2250–अन्य सामाजिक सेवाऐं–102–धार्मिक तथा पूर्त अक्षय निधि अधिनियमों का प्रशासन–03–वक्फ बोर्डो को सहायता–0301–सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड को अनुदान के मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता तथा लेखाशीर्षक "2250–अन्य सामाजिक सेवाऐं–102–धार्मिक तथा पूर्त अक्षय निधि अधिनियमों का प्रशासन–03–वक्फ बोर्डो को सहायता–0303–उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड को सहायता के मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश शासनादेश संख्याः 183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट संलग्न आई.डी. संख्याःS ——— ,दिनांक —— सितम्बर, 2017 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 30.06.2017 के द्वारा प्राप्त दिशानिर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

ID-S1709150152 dt. 25.09.2017
ID-S1709150153 dt. 25.09.2017

भवदीय,

(कै0 आलोक शेखर तिवारी)
अपर सचिव।

संख्याः 1828 **(1)/XVII(3)/2017 तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. सचिव, राजस्व/वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र दिनांक 28.04.2017 के क्रम में।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. समस्त जिला अल्पसंख्यक/समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।
8. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी.एस. भाकुनी)
उप सचिव।